राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एन.एच.एम.) स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक : एफ.(एलएन–1123)एन.एच.एम./विधि/2019/ 398 दिनांक :– 15/1/19

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
जोन–जोधपुर

विषय :– श्रम न्यायालय में दायर एलसी–40/2018 श्री दुर्गाराम/मागाराम बनाम मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं एलसी–41/2018 श्री भूराराम बनाम मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर

उपर्युक्त विषयानुसार जिला स्तरीय न्यायिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे केस प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति जरिये जिला कलेक्टर सम्बन्धित आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करा अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त कार्रवाई से अवगत करावें।

(प्रीति माथुर)
परियोजना निदेशक
एन.एच.एम.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– जोधपुर, विधिक सलाहकार, एन.एच.एम. को अविलम्ब ई–मेल करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम.

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एन.एच.एम.) स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक : एफ.(एलएन–1123)एन.एच.एम./विधि/2019/ 398 दिनांक :– 15/1/19

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
जोन–जोधपुर

विषय :– श्रम न्यायालय में दायर एलसी–40/2018 श्री दुर्गाराम/मागाराम बनाम मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं एलसी–41/2018 श्री भूराराम बनाम मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर

उपर्युक्त विषयानुसार जिला स्तरीय न्यायिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे केस प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति जरिये जिला कलेक्टर सम्बन्धित आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करा अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त कार्रवाई से अवगत करावें।

(प्रीति माथुर)
परियोजना निदेशक
एन.एच.एम.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– जोधपुर, विधिक सलाहकार, एन.एच.एम. को अविलम्ब ई–मेल करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम.

LC / ...
28.1.2019

सीज-पोस्ट

चोपड़ा ब्रॉदर्स, त्रिपोलिया, जोधपुर। ☎0291-2623919

कारण बतलाने हेतु सूचना (सामान्य रूप)

NOTICE TO SHOW CAUSE (GENERAL FORM)

व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 का प्रथम अनुसूची के परिशिष्ट 'ज'
(अपेण्डिक्स 'एच') का प्रपत्र संख्या 4

न्यायालय श्रीमान श्रम न्यायालय महोदय जी,

श्री औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय (जहाँ अधिमानित लिपाइजेड) जोधपुर

प्रार्थी/याची/आवेदक .... अप्रार्थी/अयाची/प्रतिपक्ष

Case 4 3/12/18

मुरारीलाल पुत्र श्री गोकुलराम विरुद्ध मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर व अन्य

प्रकरण संख्या LC – 41/2018

प्रकरण विषय मांग पत्र वेतन सेवा में बहाल हेतु

प्रेषिति,

श्री श्रीमान मुख्य नियोजक आत्मज/धर्मपत्नी श्री 3477 3/1/19

जाति प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय

पता स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी-स्कीम जयपुर (राज.)

अतः उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त आवेदन के विरूद्ध कारण बतलाने हेतु दिनांक 28/1/19 को समय 10.00 बजे आप व्यक्तिशः (स्वंय) अथवा यथावत् अनुदेशित (ड्यूली इन्स्ट्रेक्टेड) अधिवक्ता (एडवोकेट) / अधिवक्ता (प्लीडर) अभिकर्त्ता (एजेन्ट) के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो। इसमें चूक (डीफोल्ट) करने पर उक्त आवेदन को एक पक्षीय सुना व निश्चित किया जायेगा।

यह आज दिनांक 18/12/18 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ किया गया।

आदेशानुसार

न्यायालय की मुद्रा | पक्षकार / अधिवक्ता के लघु हस्ताक्षर | पीठासीन अधिकारी की पद मुद्रा

P.T.O.

आदेशिका निर्वहक का शपथ-पत्र

(Affidavit of Process-server)

(व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 5 नियम 18 देखें)

(अनुदेशः जो अंश अनुपयोगी हो वह दिया जाए)

मैं ..... आ. श्री ..... जाति .....

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :

1. कि मैं ..... न्यायालय ..... का एक आदेशिका निवहक (प्रोसेस सर्वर) हूँ।
2. कि प्रतिवादी ..... श्री ..... पर निर्वहण (सर्विस) हेतु पीछे मुद्रित सूचना मुझे दिनांक ..... को प्राप्त हुई थी ।
3. कि उक्त ..... श्री ..... को मैं स्वयं:
   (क) पहचानता था, मैंने उन्हें
   (ख) नहीं पहचानता था अतः श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता .....
   मेरे साथ चले तथा मुझे एक व्यक्ति बताया, जिसे उन्होंने ..... श्री ..... होना कहा । मैंने उस व्यक्ति को
   दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग ..... बजे ..... स्थान पर इस सूचना की एक प्रतिलिपि देते हुए इस मूल प्रति पर उनके हस्ताक्षर करते हुए उन्हें यह सूचना थामी ।
4. कि उक्त व्यक्ति ने श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता ..... के समक्ष
   (क) इस मूल सूचना की एक प्रतिलिपि लेकर इस मूल प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर दिये ।
   (ख) यह सूचना लेनी अस्वीकार कर दी ।

(प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर) (साक्षी (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर) (निर्वहक के हस्ताक्षर)

5. कि उक्त ..... श्री ..... को एवं उस स्थान, जिसमें वह सामान्यतः रहते थे
   अथवा ..... को मैं स्वयं :
   (क) जानता था, अतः मैं स्वयं वहाँ गया,
   (ख) नहीं जानता था । अतः एक श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता ..... मेरे साथ चले और वहाँ
   एक ..... (स्थान का नाम) बताया, जो उन्होंने बताया
   कि वह स्थान था जिसमें उक्त ..... श्री ..... सामान्यतः रहते थे
   अथवा .....
   मैंने दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग ..... बजे वहाँ पर उक्त ..... श्री ..... को नहीं पाया ।
6. कि अतः मैंने

यहाँ पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियमन 15 व 17 का विशेषतः ध्यान रखकर उस रीति का ठीक-ठीक एवं पूर्णतः वर्णन करें, जिस रीति से सूचना का निर्वहण किया गया ।

साक्षी विवरण :
नाम ..... आ. ध.प.श्री ..... जाति.....
पता .....
साक्षी की संक्षिप्त घोषणा ।

आज दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग..... बजे उपर्युक्त निर्वहक (सर्वर) श्री ..... मेरे समक्ष .....
.....

(साक्षी के हस्ताक्षर) (निर्वहक के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : यदि प्रतिस्थापित निर्वहण (सब्स्टीट्यूटेड सर्विस) का आदेश दिया गया है तो प्रतिस्थापित निर्वहण के आदेश के निबन्धों (ट्रम्स) के विशेष सन्दर्भ में उस रीति का ठीक-ठीक एवं पूर्णतः कथन करें जिस रीति से सूचना का निर्वहण किया गया है ।

आज दिनांक ..... को उक्त श्री ..... (निर्वहक का नाम) ने मेरे समक्ष शपथ ली/प्रतिज्ञान किया ।

व्यवहार प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 139 के अधीन अभिसाक्षी को शपथ दिलाने हेतु सशक्त

स्पीड-पोस्ट

चौपड़ा ब्रॉदर्स, त्रिपोलिया, जोधपुर। ☎0291-2623919

कारण बतलाने हेतु सूचना (सामान्य रूप)

NOTICE TO SHOW CAUSE (GENERAL FORM)

व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 का प्रथम अनुसूची के परिशिष्ट 'ज' (अपेण्डिक्स 'एच') का प्रपत्र संख्या 4

न्यायालय श्रीमान श्रम न्यायाधीश,

श्री औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय (जिला अध्यक्षित प्रिजाइडेड) जोधपुर

प्रार्थी/याची/आवेदक .... अप्रार्थी/अयाची/प्रतिपक्ष

Case

दुर्गाराम/मगाराम विरूद्ध मुख्य नियोजक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर

31/12/18

प्रकरण संख्या LC-40/2018 उत्त /2018

प्रकरण विषय मांग पत्र अवैध सेवा में बहाल हेतु

प्रेषिति,

श्री .... आत्मज/धर्मपत्नी श्री ....

जाति श्रीमान मुख्य नियोजक प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य

पता भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर (राज)

अतः उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि

3478 31/12/18

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त आवेदन के विरूद्ध कारण बतलाने हेतु दिनांक 28/1/19 को समय 10:00 बजे आप व्यक्तिशः (स्वंय) अथवा यथावत् अनुदेशित (ड्यूली इन्स्ट्रक्टेड) अधिवक्ता (एडवोकेट) / अधिवक्ता (प्लीडर) अभिकर्त्ता (एजेन्ट) के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो। इसमें चूक (डीफोल्ट) करने पर उक्त आवेदन को एक पक्षीय सुना व निश्चित किया जायेगा।

यह आज दिनांक 19/12/18 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ किया गया।

न्यायालय की मुद्रा

पक्षकार / अधिवक्ता के लघु हस्ताक्षर

आदेशानुसार
Parin
रीडर
[illegible]
की पद मुद्रा

P.T.O.

आदेशिका निर्वहक का शपथ-पत्र

(Affidavit of Process-server)

(व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 5 नियम 18 देखें)

(अनुदेशः जो अंश अनुपयोगी हो वह दिया जाए)

मैं ..... आ. श्री ..... जाति .....

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :

1. कि मैं ..... न्यायालय ..... का एक आदेशिका निर्वहक (प्रोसेस सर्वर) हूँ।
2. कि प्रतिवादी ..... श्री ..... पर निर्वहण (सर्विस) हेतु पीछे मुद्रित सूचना मुझे दिनांक ..... को प्राप्त हुई थी ।
3. कि उक्त ..... श्री .....
   (क) पहचानता था, मैंने उन्हें ..... को मैं स्वयं:
   (ख) नहीं पहचानता था अतः श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता .....
   मेरे साथ चले तथा मुझे एक व्यक्ति बताया, जिसे उन्होंने ..... श्री ..... होना कहा । मैंने उस व्यक्ति को
   दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग ..... बजे ..... स्थान पर इस सूचना की एक प्रतिलिपि देते हुए इस मूल प्रति पर उनके हस्ताक्षर करते हुए उन्हें यह सूचना थामी ।
4. कि उक्त व्यक्ति ने श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता .....
   (क) इस मूल सूचना की एक प्रतिलिपि लेकर इस मूल प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर दिये । के समक्ष
   (ख) यह सूचना लेनी अस्वीकार कर दी ।

(प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर) (साक्षी (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर) (निर्वहक के हस्ताक्षर)

5. कि उक्त ..... श्री ..... को एवं उस स्थान, जिसमें वह सामान्यतः रहते थे
   अथवा ..... को मैं स्वयं :
   (क) जानता था, अतः मैं स्वयं वहाँ गया,
   (ख) नहीं जानता था । अतः एक श्री ..... आ. श्री .....
   जाति ..... पता ..... मेरे साथ चले और वहाँ
   एक ..... (स्थान का नाम) बताया, जो उन्होंने बताया
   कि वह स्थान था जिसमें उक्त ..... श्री ..... सामान्यतः रहते थे
   अथवा .....
   मैंने दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग ..... बजे, वहाँ पर उक्त .....
   श्री ..... को नहीं पाया ।
6. कि अतः मैंने

यहाँ पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियमन 15 व 17 का विशेषतः ध्यान रखकर उस रीति का ठीक-ठीक एवं पूर्णतः वर्णन करें, जिस रीति से सूचना का निर्वहण किया गया ।

साक्षी विवरण :
नाम ..... आ. ध.प.श्री ..... जाति.....
पता .....
साक्षी की संक्षिप्त घोषणा ।
आज दिनांक ..... को पूर्वाहण/अपराहण/सायं लगभग..... बजे उपर्युक्त निर्वहक (सर्वर) श्री ..... मेरे समक्ष .....
.....

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(निर्वहक के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : यदि प्रतिस्थापित निर्वहण (सब्स्टीट्यूटेड सर्विस) का आदेश दिया गया है तो प्रतिस्थापित निर्वहण के आदेश के निबन्धों (ट्रम्स) के विशेष सन्दर्भ में उस रीति का ठीक-ठीक एवं पूर्णतः कथन करें जिस रीति से सूचना का निर्वहण किया गया है ।

आज दिनांक ..... को उक्त श्री ..... (निर्वहक का नाम) ने मेरे समक्ष शपथ ली/प्रतिज्ञान किया ।

व्यवहार प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 139 के अधीन अभिसाक्षी को शपथ दिलाने हेतु सशक्त